

# ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು

ಸಂಮಟ ೧೫೯ Volume 159 ಬೆಂಗಳೂರು, ಬುಧವಾರ, ೧೦, ಜನವರಿ, ೨೦೨೪ (ಮಷ್ಯ, ೨೦, ಶಕವರ್ಷ, ೧೯೪೫) BENGALURU, WEDNESDAY, 10, JANUARY, 2024 (PUSHYA, 20, SHAKAVARSHA, 1945)

ಸಂಚಿಕೆ ೦೯ Issue 09

#### ಭಾಗ ೩

## ಸರ್ಕಾರದ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

### ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ:MWD 10 LMR 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.12.2023.

### ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್, #3. ಜೀಷಾನ್ ಮ್ಯಾನಷನ್, 2ನೇ ಎಫ್ ಮೇನ್, 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಭೂಪಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ನನ್, ಸಂಜಯ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಷ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

(ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ನಾಗರಾಜ) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆ.

PR-19

| 09 | ಡಾ  ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಜಿ.,     | ಮುಂಬಡ್ತಿ | 27.12.1964 | 31.07.1991 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | ಸರ್ಕಾರದ                | ಅಧಿಸ  | ೂಚನೆ             |
|----|-------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-------|------------------|
|    | ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನೇತ್ರ) |          |            |            |            |            | ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಕುಕ            | 457   | ಹೆಚ್             |
|    | ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ     |          |            |            |            |            | ಎಸ್ ಹೆ                 | ಚ್    | 2022,            |
|    | ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ           |          |            |            |            |            | ದಿನಾಂಕ:07.07.2023ರನ್ವಯ |       |                  |
|    | ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,            |          |            |            |            |            | ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇ            | ಶಕರ ಹ | ಸುದ್ದೆಗ <u>ೆ</u> |
|    | ಬೆಂಗಳೂರು.               |          |            |            |            |            | ಪದೋನ್ನತಿ               |       |                  |
|    |                         |          |            |            |            |            | ಹೊಂದಿರುತ್ತಾ            | ್ತರೆ. |                  |
|    |                         | 1        |            |            |            |            |                        |       |                  |

ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಕುಕ 17 ಹೆಚ್ಎಸ್ಹೆಚ್ 2024

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

#### (ಸಿ.ಮಂಜೂರ್)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು)

**PR-20** 

# पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण पणंबूर, मंगलूर

सं. सीई/एसई(सी-॥)/ईएसटी/एसओआर-आरईवी-एडीडी/2023-24

रि. 22.12.2023

# <u>अधिसूचना</u>

महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 (2021 का 1) की धारा 27 द्वारा उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन के लिए महा पत्तन प्राधिकरण का मंडल, पट्टे/लाइसेंस पर पत्तन परिसर के आवंटन और मार्ग अधिकार अनुमित प्रदान करने के लिए अपने दरमान (एसओआर) को खंड सं. 158/अंक सं. 31, पीडी-26 दिनांक 09 फरवरी 2023 के माध्यम से कर्नाटक राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया था। अब, पत्तन उपयोगकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए, नव मंगलूर पत्तन के लिए महा पत्तन प्राधिकरण का मंडल, इसके अलावा इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार इसके पूर्वोक्त अधिसूचित दरमान (एसओआर) में संशोधन को अधिसूचित करता है।

(शेखर बलवंत लागवणकर) मुख्य अभियंता (सिविल) नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

### नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

# सं. सीई/एसई(सी-॥)/ईएसटी/एसओआर-आरईवी-एडीडी/2023-24 <u>आदेश</u> (अक्तूबर 2023 के 27वें दिन पारित)

\*\*\*\*

- 1. पत्तन प्राधिकरण मंडल ने 13.12.2022 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प सं.127/2022-23 के तहत, पट्टे/लाइसेंस पर पत्तन परिसर के आवंटन और चक्र अविध 2022-2027 के लिए मार्ग अधिकार अनुमित प्रदान करने के लिए दरमान में संशोधन और शर्तों के विवरण को मंजूरी दी थी।
- 2. मंडल ने शर्तों के विवरण के साथ एसओआर को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मंडल द्वारा पत्तन उपयोगकर्ताओं को पत्तन परिसर तक पहुंच और उपयोग की अनुमित दी जा सकती है, जिसे कर्नाटक राज्य सरकार के राजपत्र में खंड सं. 158/अंक सं. 31, पीडी-26, दिनांक 09 फरवरी 2023 के तहत अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, इसे ट्रेड नोटिस दिनांक 03.03.2023 के माध्यम से पत्तन उपयोगकर्ता को भी अधिसूचित किया गया था।
- 3. राजपत्र अधिसूचित एसओआर 2022-27 की शर्तों के विवरण के क्र. सं. (ए) (vi) में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:-
- ए(vi) कस्टम बांड क्षेत्र में एक्जिम कार्गो के लिए खुली जगह के लिए प्रस्तावित दर वाणिज्यिक क्षेत्र में पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों के लिए लागू होगी जहां एक्जिम कार्गो को पोत से पोत आधार पर संग्रहीत किया जाता है, जब तक कि क्षेत्र को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पट्टे पर नहीं दिया जाता है।
- 4. कस्टम बॉन्ड क्षेत्र के बाहर एक्ज़िम कार्गो के भंडारण के लिए, लेकिन कस्टम बाउंड क्षेत्र के अंदर जगह की कमी के कारण, चूंकि पत्तन अन्य क्षेत्रों में भी एक्ज़िम कार्गो के भंडारण के लिए लाइसेंस के आधार पर भूमि क्षेत्र आवंटित करता रहा है, एसओआर -2023-2027 में बढ़ोतरी के बनाम पत्तन उपयोगकर्ता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।
- 5. पत्तन उपयोगकर्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदन पर टैरिफ में संशोधन के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित समिति द्वारा 16.08.2023 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया। टैरिफ समिति ने विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद पत्तन प्राधिकरण मंडल को निम्नलिखित की सिफारिश की: -

राजपत्र अधिसूचित एसओआर 2022-27 की शर्तों के विवरण के क्र.सं. (ए) (vi) को पुनरीक्षित/संशोधित करने के लिए निम्नानुसार:-

- ए(vi) कस्टम बॉन्ड जोन में एक्जिम कार्गो पोत से पोत आधार पर खुली जगह के लिए लागू दर अन्य सभी क्षेत्रों के क्षेत्रों के लिए लागू होगी जहां एक्जिम कार्गो, पोत से पोत तक भंडारण किया जाता है। पुनरीक्षण दिनांक 11.03.2023 से लागू होगा और प्रभावी तिथि से 4 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।
- 6. टैरिफ समिति की सिफारिशों को पत्तन प्राधिकरण मंडल द्वारा 27.10.2023 को **संकल्प सं.** 135/2023-24 के माध्यम से अपनी बैठक में मंजूरी दी गई थी।
- 7. दरमान (एसओआर) और अन्य सभी शर्तें जिसके तहत, मंडल द्वारा पत्तन उपयोगकर्ता को पत्तन परिसर तक पहुंच और उपयोग की अनुमति दी जाए, कर्नाटक राज्य सरकार के राजपत्र में पत्तन प्राधिकरण

द्वारा अधिसूचित; खंड सं.158/अंक सं. 31, पीडी-26 दिनांक 09 फरवरी 2023 और ट्रेड नोटिस सं. सीई(सी)/एसई(सी-II)/ईएसटी/एसओआर-आरईवी/2022-23 दिनांक 03.03.2023; अपरिवर्तित रहेगा।

8. परिणाम में, और ऊपर दिए गए कारणों के लिए, और दिमाग के सामूहिक अनुप्रयोग के आधार पर, नव मंगलूर पत्तन के लिए महा पत्तन प्राधिकरण का मंडल, उन शर्तों के विवरण के क्रम सं. (ए) (vi) में संशोधन करने को मंजूरी दी गई है जिसके तहत नव मंगलूर के मंडल द्वारा पत्तन परिसंपत्तियों तक पहुंच और उपयोग की अनुमित दी जा सकती है। खंड सं. 158/ अंक सं. 31 के अनुसार,पीडी-26 दिनांक 09 फरवरी 2023 एवं ट्रेड नोटिस सं. सीई(सी)/एसई(सी-II)/ईएसटी/एसओआर-आरईवी/2023-24 दिनांक 03.03.2023 जिसे शुरुआत में कर्नाटक राज्य सरकार के राजपत्र में पत्तन प्राधिकरण मंडल द्वारा अधिसूचित किया गया था । पुनरीक्षित दरमान के अनुप्रयोग को शासित करने वाली शर्तों का संशोधित क्र. सं. (ए) (vi) 11.03.2023 से प्रभावी होगा और प्रभावी तिथि से 4 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। राजपत्र दरमान 2022-27 और अन्य सभी शर्तें जिनके तहत मंडल द्वारा पत्तन उपयोगकर्ताओं को पत्तन परिसर तक पहुंच और उपयोग की अनुमित दी जाए, अपरिवर्तित रहेंगी।

(शेखर बलवंत लागवणकर)
मुख्य अभियंता (सिविल)
नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

# Ministry of Ports, Shipping and Waterways New Mangalore Port Authority Panambur, Mangalore

No. CE/SE(C-II)/EST/SOR-REV-ADD/2023-24

Dated. 22.12.2023

#### **NOTIFICATION**

In exercise of powers conferred under Sub-Section (1) by Section 27 of Major Port Authorities Act 2021 (1 of 2021), the Board of Major Port Authority for New Mangalore Port, had notified its Scale of rates (SoR) for allotment of Port premises on lease/License and grant of RoW permission, in the Karnataka State Government Gazette; vide Volume No 158/issue No No 31, PD-26 dated 09<sup>th</sup> February 2023.Now, considering the requests received from the Port Users, the Board of Major Port Authority for New Mangalore Port, further hereby notifies amendment to its aforesaid notified Scale of rates (SoR) as in the Order appended hereto.

(Shekhar Balwant Lagwankar) Chief Engineer (Civil) New Mangalore Port Authority

# New Mangalore Port Authority No. CE/SE(C-II)/EST/SOR-REV-ADD/2023-24 ORDER

#### (Passed on this 27th day of October 2023)

\*\*\*\*

- **1.** The Port Authority Board in its meeting held on 13.12.2022 vide resolution No 127/2022-23, had approved revision of Scale of Rates and the statement of conditions for allotment of Port premises on lease/License and grant of RoW permission for the cycle period 2022-2027.
- 2. The Board approved SoR along with statement of conditions under which, the access to and usage of Port premises may be allowed by the Board to the .Port user's, had been notified in the Karnataka State Government Gazette vide Volume No 158/issue No 31, PD-26, dated 09th February 2023. Further, it was also notified to Port User's vide Trade Notice dated 03.03.2023.
- **3.** The SI No (A) (vi) of the Statement of conditions of the gazette notified SoR 2022-27 stipulated the following:-
  - A(vi) The rate proposed for open space for EXIM Cargo in custom bond area will apply for areas leased in the commercial zone where EXIM cargo is stored, on vessel to vessel basis, till the area is leased out for commercial purposes
- **4.** But due to constraint of space inside the Custom Bound area, as Port has been allotting Land area on License basis for storage EXIM Cargo in other zones also, representations were received from the Port User's against the hike in the SoR-2023-2027, for storage of EXIM Cargo, outside the Custom Bond area.
- 5. The representations received from the Port User's were deliberated by the Board approved Committee for revision of Tariff, in its meeting held on 16.08.2023. The Tariff Committee after detailed discussion and deliberations recommended the following to the Port Authority Board

To revise/amend, SI No (A) (vi) of the Statement of conditions of the gazette notified SoR 2022-27 as follows:-

A(vi) The rate applicable for open space for EXIM Cargo, vessel to vessel basis in the Custom bond Zone will apply for areas in all other zones where EXIM cargo, vessel to vessel is stored. The revision shall be applicable with effect from 11.03.2023 and shall be in force for a period of 4 years from the effective date.

- **6.** The recommendations of the Tariff Committee was approved by the Port Authority Board in its meeting held on 27.10.2023 vide **Resolution No 135/2023-24**.
- 7. The Scale of rates (SoR) and all other conditionalities under which, the access to and usage of Port premises may be allowed by the Board to the .Port user's, notified by the Port Authority in the Karnataka State Government Gazette; vide Volume No 158/issue No No 31, PD-26 dated 09th February 2023 and the Trade Notice No CE(C)/SE(C-II)/EST/SOR-REV/2022-23 dated 03.03.2023; remains unaltered.
- 8. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the Board of Major Port Authority for New Mangalore Port, approves to amend SI No (A) (vi) of the statement of conditions under which the access to and usage of Port assets may be allowed by the Board of New Mangalore Port, which had been initially notified by the Port Authority Board in the Karnataka State Government Gazette; vide Volume No 158/issue No No 31, PD-26 dated 09th February 2023 and the Trade Notice No CE(C)/SE(C-II)/EST/SOR-REV/2022-23 dated 03.03.2023. The ammended SI No (A) (vi) of the conditionalities governing the application of revised Scale of Rates will be effective from 11.03.2023 and shall be in force for a period of 4 years from the effective date. The Gazette SoR 2022-27 and all other conditionalities under which, the access to and usage of Port premises may be allowed by the Board to the .Port users remains unaltered.

(Shekhar Balwant Lagwankar)
Chief Engineer (Civil)
New Mangalore Port Authority

**PD-02**